निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
43/2016	4.8.2016	12.11.2016

1. गोपाल लाल पुत्र प्यारेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीलाल पुत्र प्यारेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. ओमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. कैलाश चन्द पुत्र प्यारेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. चन्द्रकलां पुत्री प्यारेलाल पत्नि प्रकाश चन्द, माली निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मामले में प्रार्थीगण गोपाल लाल वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 264, 265, 266, 267, 269 कुल रकबा 1.47 हैक्टर ग्राम छावा में प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल के पिता का नाम टाईपिंग गलती से रामसहाय दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल के पिता का सही नाम सोनपाल है। प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्थान पर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी हलका के पास प्रार्थीगण दिनांक 28.6.2016 को गए तो प्रार्थीगण को यह बताया गया कि पहले प्यारेलाल के पिता का नाम जो जमाबंदी में रामसहाय दर्ज है उसके स्थान पर सही नाम सोनपाल कराओ तभी तुम्हारे नाम नामान्तरकरण दर्ज होगा । प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल के आगे दर्ज पिता का नाम रामसहाय गलत है। रामसहाय प्यारेलाल का पिता नहीं होकर भाई है तथा फौत हो चुका है तथा रामसहाय के पुत्र राधेश्याम के नाम के साथ प्रार्थी का नाम भी गलत रूप से जोड दिया है। रामसहाय का पुत्र केवल राधेश्याम है। प्यारेलाल के पिता का नाम सोनपाल है तथा प्यारेलाल के अन्य भाई बुधराम, गोविन्दनारायण, सीताराम व मृतक रामसहाय रहे हैं जो खतौनी एकीकरण सं0 2019 से स्पष्ट है परन्तु सेटिलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से प्रार्थीगण के पिता का नाम सोनपाल के स्थान पर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

रामसहाय दर्ज कर दिया है। लिपिकीय भूल के कारण हुआ है जिसकी न्यायहित में दुरूस्ती आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 98 ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी सं0 2071–74 के खातेदारी कालम में दर्ज प्यारेलाल पुत्र रामसहाय का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्यारेलाल पुत्र सोनपाल दर्ज करने के आदेश दिए जावें तथा इसी अनुसार समसत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा, नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग सं0 2039, सं0 2016, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र बादामी पत्नि प्यारेलाल माली, प्यारेलाल पुत्र सोनपाल माली प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि ग्रम छावा की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के खाता सं0 98 के ख0नं0 264, 265, 266, 267, 269 में प्यारेलाल राधेश्याम पुत्र रामसहाय बुद्धराम, गोविन्द नारायण, सीताराम पि0 सोनपाल अकवाय माली सा0 बगीची छावा हि0 व दर्ज है। ग्राम छावा की एकीकरण खतौनी सं0 2016 में प्यारेलाल, रामसहाय, बुद्धराम, गोविन्द नारायण व सीताराम पि0 सोनपाल माली हि0व0 सा0 बगीची छावा दर्ज है। प्यारेलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर प्यारेलाल पुत्र सोनपाल दर्ज किया जाना उचित है। इस रिपोर्ट पर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि ग्राम छावा की खाता सं0 98 में प्यारेलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर प्यारेलाल पुत्र सोनपाल शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली दिनांक 12.11.2016 सको लोक अदालत में रखी गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया । प्रस्तुत अभिलेख का एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । नकल खतौनी जमाबंदी एकीकरण सं0 2016 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल की बल्दियत सोपाल दर्ज है जिसे भू–प्रबन्ध के दौरान रामसहाय दर्ज कर दिया गया है जबकि रामसहाय तो प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल का भाई था। इस प्रकार भू–प्रबन्ध सं0 2039 के दौरान प्रार्थीगण के पिता प्यारेलाल की बल्दियत गलत दर्ज हो गई है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अधिकारी हैं। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस गलत इन्द्राज को सही करने की अभिशंषा की है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा के खाता संख्या 98 में कालम संख्या 4 में दर्ज प्रविष्टि प्यारेलाल, राधेश्याम पुत्र रामसहाय, बुद्धराम, गोविन्द नारायण, सीताराम पि0 सोनपाल अकवाय माली सा0 बगीची छावा हि0 ब0 के स्थान पर प्रविष्टि प्यारेलाल पुत्र सोनपाल, राधेश्याम पुत्र रामसहाय, बुद्धराम, गोविन्द नाराण, सीताराम पि0 सोनपाल अकवाय माली सा0 बगीची छावा हि0ब0 दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे । निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी